


406

282

II/निगरा/भीष्मी/2018/01096 (खालील शब्दावली
ग्रालय श्री मान राजस्व मंडल ग्वालियर मोप्र० श्रृंखला न्यायालय रीवा (मोप्र०)



प्रक्र० क०.....

1— भास्कर सिंह } दोनो पुत्र स्व. श्री अमरजीत सिंह
2— भूपेन्द्र सिंह }

सभी निवासी ग्राम कुशमहर तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी मोप्र०.....निगरानीकर्ता

(अनावेदकगण).

बनाम

बृजभान कोरी तनय श्री गल्होरी कोरी साकिन करनपुर तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी
मोप्र०गैरनिगरानीकर्ता

(आवेदक)

निगरानी (पुनरीक्षण) विरुद्ध न्यायालय श्री मान नायब
तहसीलदार वृत्त हनुमानगढ तहसील रामपुर नैकिन जिला
सीधी (मोप्र०)

द्वारा प्रकरण क० 24/अ 70/14-15 में पारित अंतरिम
आदेश दिनांक 07/11/2017

अंतर्गत धारा 50 मोप्र०भूरा०सं०1959

मान्यवर,

प्रार्थी निगरानीकर्तागण की ओर से उपरोक्त विषयांतर्गत निम्नांकित
पुनरीक्षण प्रस्तुत है:-

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य :-

गैर निगरानीकर्ता ने एक मिस्लीनियस शिकायत का आवेदन जनसुनवाई में श्रीमान कलेक्टर महोदय सीधी (मोप्र०) के यहां एक झूँठा आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम कुशमहर तहसील रामपुर नैकिन की भूमि खसरा क० 3296/2 का 8000/रु०(आठ हजार रु०) राजस्व निरी० को देकर सीमांकन कराया और राजस्व निरीक्षक ने इसके बाद भी अनावेदकगण के नाम उक्त भूमि पर कब्जा लिख दिया अतः निवेदन है कि मेरी जमीन का कब्जा दिलाया जाय तथा उचित कार्यवाही की जाय। गैर निगरानी कर्ता के उक्त आवेदन को निराकरण हेतु अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार हनुमानगढ तहसील रामपुर नैकिन के पास प्रेसित कर दिया गया।

282

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश रवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II | नंगा: 2018 | 2018 | 1096 | जिला मुरैनीभाष्यकार मिस्टर विरुद्ध कुमार बहादुर कारी

1	2	3
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री...<u>मुरैनी कुमार बहादुर</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलकार/ नायब तहसीलदार तहसील...<u>शाहपुर</u> ने किन के प्रकरण क्रमांक <u>25(भू-1570)।15।15</u> में पारित आदेश दिनांक <u>07-11-17</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर...<u>मुरैनी</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>17-1-19</u> को कलेक्टर...<u>मुरैनी</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	



सदस्य

आवेदन को निराकरण हेतु अधारात्मक

नैकिन के पास प्रेसित कर दिया गया।

